



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 452 राँची, सोमवार, 16 श्रावण, 1945 (श०)
7 अगस्त, 2023 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

7 अगस्त, 2023

सं०--SUDA/AMRUT 2.0/Mahagama WS-33/2023/UDHD/3015--

विषय:-केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 8301.21 लाख रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त महागामा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

नगर विकास एवं आवास विभाग 74वें संविधान संशोधन के आलोक में नागरिकों को मौलिक/बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है। इसी क्रम में महागामा शहरी जलापूर्ति परियोजना का सूत्रण किया गया है। इसके चरणबद्ध क्रियान्वयन के निमित्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार किया गया है, जिसके अनुसार महागामा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्राक्कलित राशि 8301.21 लाख (तिरासी करोड़ एक लाख इक्कीस हजार) रुपये है। यह परियोजना आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा

अमृत 2.0 योजनांतर्गत स्वीकृत है एवं DPR पर विभागीय तकनीकी कोषांग द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. जनगणना 2011 के अनुसार इस निकाय क्षेत्र की जनसंख्या 30401 है एवं इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। निकाय क्षेत्र में पूर्व से अधिष्ठापित जलापूर्ति योजना काफी पुरानी हो गई है एवं सभी आधारभूत संरचनायें खराब हो चुकी हैं जिसके कारण लगभग छः वर्षों से जलापूर्ति नहीं हो रही है। इसलिए सुन्दर जलाशय से निकाय क्षेत्र में जलापूर्ति करने की योजना तैयार की गई है।

वर्तमान में निकाय क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था नहीं रहने के कारण उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण एवं भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2055 तक की जरूरतों के अनुसार Water Treatment Plant एवं Network Design तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः 1.5, 1.05 & 1.77 ML के 3 जल-मिनारों, 11.0 MLD का Water Treatment Plant, 9.173 KM Raw Water Rising Main Pipeline, 6.277 KM Clear Water Rising Main Pipeline, 79.868 KM Distribution Network एवं 8206 मीटरयुक्त House Service Connection प्रस्तावित है।

3. इस परियोजना के प्रस्तावित अवयवों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

S.N.	Proposed Project Component	Details
1	Source	Sunder Reservoir
2	Intake Well + Jack Well	Intake Well cum Jack well - 8 M Dia. Approach Bridge length -60 mts.
3	Raw Water Rising Main (DI-K9, Dia-450 mm)	9.173 KM
4	Water Treatment Plant	11.0 MLD
5	Clear Water Rising Main (DI-K9, Dia-250-450 MM)	6.277 KM
6	Elevated Storage Reservoirs (ESR)-3 Nos.	1.5, 1.05 & 1.77 ML
7	Distribution Network (DI- K7)	79.867 KM
8	House Service Connections	8206 Nos.
9	SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)	To monitor entire Water Supply Scheme
10	O&M of all component of schemes that is Pumping Machinery, Raw Water Rising Main, WTPs, Clear Water Rising Main, ESRs, Electrical Equipment, Water Distribution Network, HSCs and SCADA system etc.	5 Years

4. इस परियोजना अंतर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी Service Level Benchmarks को ध्यान में रखा गया है एवं अमृत 2.0 मिशन दिशा-निर्देशिका की कंडिका-4 के उपकंडिका-4.1 एवं कंडिका 6 के उपकंडिका 6.5.2(X)

के आलोक में प्रस्तावित परियोजना के DPR में रख-रखाव (Operation & Maintenance) की तय समय-सीमा 5 वर्ष निर्धारित की गई है।

5. इस परियोजना के क्रियान्वयन की अनुमानित प्राक्कलित राशि पर विभागीय तकनीकी कोषांग द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है, जो निम्नवत् है:

Sl. No.	Item Description	Amount
1	Intake Well cum Jack Well and approach Bridge	156.80
2	Electrical & Mechanical Components of Intake	89.42
3	Raw Water Rising Main (450 MM Dia. & Length -9.173 KM)	885.02
4	Water Treatment Plant (WTP) including electrical & mechanical items- Capacity-11 MLD	398.72
5	Clear Water Rising Main (250MM to 450 MM Dia. & Length-6.277 KM)	517.72
6	Elevated Storage Reservoir (ESR) of capacity 1.5 ML (28 M staging)	149.95
7	Elevated Storage Reservoir (ESR) of capacity 1.05 ML (24 M staging)	103.91
8	Elevated Storage Reservoir (ESR) of capacity 1.77 ML (19 M staging), demolition of old ESR and other work	141.81
9	Distribution System (79.868 KM)	2402.55
10	House Service Connection with Meter (8206 Nos.)	430.98
11	SCADA	195.72
12	Staff Quarter, Compound Wall with Gate, and Approach Road	63.57
13	Environmental Monitoring Plan (EMP)	4.92
14	NH Crossing	59.86
15	Capital Cost (1 to 14)	5600.95
16	Add:- GST@18%	1008.17
A	Capital Cost with GST (15+16)	6609.12
B	Labour Cess @ 1% on A	66.09
C	Capital Cost with labour cess (A+B)	6675.21
D	Centage (JUIDCO Charges)	350.46
E	NH Road Crossing- NH Fees	85.00
F	Total CAPEX of the Project (C to E)	7110.67
G	5 Years Expenditure in Operation & Maintenance (O&M)	
i	O&M for 1 st year	51.15
ii	O&M for 2 nd year	90.23
iii	O&M for 3 rd year	99.26
iv	O&M for 4 th year	109.18
v	O&M for 5 th year	120.10
H	O&M cost for 5 Years Excluding Electricity Charges (i to v)	469.92
I	Add:- GST@18% on O&M Cost without Electricity charges	84.59

J	Total O&M cost for 5 Years with GST (H+I)	554.51
K	Labour Cess @ 1% on O&M Cost (1% of J)	5.54
L	Total O&M Cost for 5 years excluding Electricity Charges (J+K)	560.05
M	Electricity Charges for 5 years O&M	630.49
N	Total O&M Cost for 5 years with Electricity Charges (OPEX) (L+M)	1190.54
	Total Project Cost (CAPEX + OPEX) (F+N)	8301.21

6. अमृत 2.0 मिशन दिशा-निर्देशिका की कंडिका 5 के उपकंडिका 5.4 में योजनाओं हेतु वित्त पोषण अनुपात निर्धारित है, जिसमें 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों हेतु CAPEX में केन्द्रांश 50% एवं राज्यांश 50% निर्धारित है एवं कंडिका 6 के उपकंडिका 6.5.2 (X) में OPEX का वहन उपभोक्ता शुल्क/राज्य योजना मद की राशि से करने का प्रावधान है। पूर्व में इस योजना का प्राक्कलन SOR 2021 के अनुसार बनाया गया था, जिसमें GST 12% था। उससे योजना की प्राक्कलित राशि 4805.00 लाख (CAPEX 4090.00 लाख एवं OPEX 715.00 लाख) रुपये हुई थी। योजना की इस लागत राशि के वित्त पोषण अनुपात पर अमृत 2.0 योजना अंतर्गत मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित State High Power Steering Committee (SHPSC) की दिनांक 09.03.2022 को आहूत बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया है जिसपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित Apex Committee की दिनांक 16.03.2022 को आहूत बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है जो निम्नवत् है:

(Amount in Rs. Lakhs)

Total project cost (CAPEX + OPEX)	CAPEX	OPEX	Funding Sources (CAPEX)		
			Central Share (50%)	State Share (50%)	
				State Share AMRUT	World Bank
4805.00	4090.00	715.00	2045.00	613.00	1432.00

5 वर्षों में योजना के रख-रखाव एवं संचालन में व्यय होने वाली (OPEX) राशि 715.00 लाख ₹ का वहन उपभोक्ता शुल्क की राशि से करने का प्रावधान किया गया है। यदि इससे राशि पूरा नहीं होता है, तो राज्य योजना अंतर्गत सुसंगत मद की राशि से इसका वहन विभाग द्वारा करने का प्रावधान किया गया है।

7. इस योजना के CAPEX राशि के राज्यांश का 1432.00 लाख ₹ JMDP अंतर्गत विश्व बैंक मद से कर्णांकित था, किन्तु दिनांक 13.09.2022 को विश्व बैंक समूह द्वारा सूचित किया गया कि जलापूर्ति के 14 योजनाओं में से 11 योजनाएँ International Water Ways policy (OP 7.50) के अनुरूप नहीं हैं। इसलिए विश्व बैंक से इन योजनाओं की स्वीकृति नहीं की जा सकती है। इन्हीं 11 जलापूर्ति योजनाओं में महागामा शहरी जलापूर्ति योजना सम्मिलित है। इस योजना हेतु विश्व बैंक मद से कर्णांकित राशि 1432.00 लाख ₹ प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है एवं इस राशि का वहन केन्द्रांश

मद से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अमृत दिशानिर्देशिका के अनुसार योजना लागत (CAPEX) की अधिकतम 50% राशि का वहन ही केन्द्रांश मद से किया जा सकता है। साथ ही भारत सरकार द्वारा इस योजना हेतु केन्द्रांश राशि 2045.00 लाख ₹ स्वीकृत की जा चुकी है। इसलिए उक्त राशि 1432.00 लाख ₹ का वहन अमृत 2.0 के राज्यांश मद की राशि से करने के प्रस्ताव पर एक अन्य संचिका सं० JUIDCO/JMDP/DPR/10 ULBs/WS/2847/2021 में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

8. पूर्व में महागामा शहरी जलापूर्ति योजना की प्राक्कलित राशि 4805.00 (CAPEX + OPEX) लाख ₹ थी, किन्तु कालान्तर में विभिन्न कारणों से योजना लागत बढ़कर 8301.21 (CAPEX + OPEX) लाख ₹ हो गई, जिसके मुख्य कारण निम्नवत् हैं:-

- (i) ESR एवं WTP निर्माण हेतु पूर्व में जो स्थल चिन्हित की गई थी। वहाँ भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थल परिवर्तन कर NOC प्राप्त किया गया, जिस कारण योजना का Design Change हुआ।
- (ii) DPR में विश्व बैंक द्वारा DMA's (District Meter Area) की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया गया, जिसके कारण Distribution Pipe Network की लम्बाई में वृद्धि हुई है।
- (iii) योजना का Base Year 2023 था, किन्तु विश्व बैंक के सुझाव के आलोक में Base Year 2025 किया गया, जिससे Water Connection की संख्या, VIP की क्षमता इत्यादि में वृद्धि हुई है।
- (iv) पूर्व में योजना का प्राक्कलन SoR 2021 के अनुसार बनाया गया था, किन्तु SoR 2022 प्रकाशित हो जाने के पश्चात् प्राक्कलन को SoR 2022 के अनुसार Revised किया गया।
- (v) SoR 2021 में GST दर 12% था, जो SoR 2022 में बढ़कर 18% हो गया है।

उपरोक्त के आलोक में पूर्व में योजना की कुल CAPEX जो राशि 4090.00 लाख ₹ थी, प्राक्कलन Revise होने के पश्चात् राशि 7110.67 लाख ₹ हो गया है। अर्थात् राशि 3020.67 (राशि 7110.67-4090.00) लाख ₹ की वृद्धि CAPEX में हुई है। योजना लागत (CAPEX) में हुई वृद्धि राशि 3020.67 लाख ₹ का वहन राज्य योजना अंतर्गत सुसंगत मद की राशि से किया जायेगा एवं पूर्व में विश्व बैंक मद से कर्णांकित राशि 1432.00 लाख ₹ का वहन अमृत 2.0 के राज्यांश मद की राशि से किया जायेगा।

इस योजना का Revised वित्त पोषण ब्यौरा निम्नवत् है: (Amount in Rs. Lakhs)

Head	Total Cost	CAPEX-Funding Sources			OPEX
		Central Share	State Share		State budget/ User Charges
			State Share AMRUT	Additional State Share	
CAPEX	7110.67	2045.00	2045.00	3020.67	-
OPEX	1190.54	--	--	--	1190.54
Total	8301.21	2045.00	2045.00	3020.67	1190.54

9. उपरोक्त तालिका के अनुसार प्रस्तावित परियोजना के कार्यान्वयन की लागत राशि (CAPEX) 7110.67 लाख ₹ एवं 5 वर्षों तक के परिचालन एवं रख-रखाव में व्यय होने वाली राशि (OPEX) 1190.54 लाख ₹ है, अर्थात् कुल प्राक्कलि राशि 8301.21 लाख ₹ है। CAPEX की राशि 2045.00 लाख ₹ केन्द्रांश मद से, राशि 2045.00 लाख ₹ राज्यांश मद से एवं राशि 3020.67 लाख ₹ अतिरिक्त राज्यांश के रूप में विभागीय बजट के सुसंगत मद की राशि से वहन किया जायेगा। योजना के परिचालन एवं रख-रखाव (OPEX) मद में राशि 1190.54 लाख ₹ 5 वर्षों में व्यय होना संभावित है, जिसका वहन उपभोक्ता शुल्क एवं राज्य योजना अंतर्गत सुसंगत मद की राशि से किया जायेगा।
10. अतिरिक्त राज्यांश मद की राशि का वहन राज्य योजना अंतर्गत मुख्य शीर्ष 4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-60, लघुशीर्ष 051 निर्माण, उपशीर्ष-51-वृहत शहरी परियोजना एवं नागरिक आधारभूत संरचना विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, विपत्र कोड 48-S-4217-60-051-51-00-05-45 से किया जायेगा। साथ ही परियोजना के संचालन एवं रख-रखाव में (5 वर्षों के लिए) व्यय होने वाली राशि (OPEX) का वहन मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई उप मुख्य शीर्ष-02 मल, जल तथा सफाई-लघुशीर्ष-192, नगरपालिकाओं/नगरपालिका परिषदों को सहायता उपशीर्ष-06-पानी तथा मल-जल सफाई के लिए नगर पार्षदों एवं नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन), विपत्र कोड-48S22150219206000679 से किया जायेगा।
11. अमृत 2.0 योजना अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं का रखरखाव 5 वर्षों तक किया जाना निर्धारित है। दिनांक 10.11.2022 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या 17 के रूप में अमृत 2.0 अंतर्गत रामगढ़ शहरी जलापूर्ति योजना हेतु Model Bid Document की स्वीकृति प्रदान की गई है (विभागीय संकल्प संख्या 3877 दिनांक 11.11.2022)। इसी Model Bid Document का उपयोग महागामा शहरी जलापूर्ति योजना हेतु किया जायेगा।
12. महागामा नगर पंचायत में बड़ी जलापूर्ति योजना के निर्माणक्रियान्वयन हेतु सक्षम स्तर के मानव बल की कमी है, इसलिए उक्त परियोजना का क्रियान्वयन जुड़को लि० द्वारा

किया जायेगा। जुडको लि० द्वारा Online माध्यम से निविदा (Jharkhand Tenders Portal) खुली प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया राष्ट्रीय (Open Competitive Bidding - National) के तहत आमंत्रित किया जायेगा। साथ ही निर्धारित प्रक्रियानुसार निविदा कार्य का निष्पादन ससमय करते हुए कार्य आवंटित किया जायेगा एवं योजना का क्रियान्वयन कराया जायेगा।

13. चयनित संवेदक द्वारा उद्धृत राशि स्वीकृत प्राक्कलित राशि से अनुज्ञेय सीमा तक अधिक होने की स्थिति में सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत कार्य आवंटित किया जायेगा। साथ ही योजना क्रियान्वयन के क्रम में किन्हीं कारणों से योजना लागत में वृद्धि होती है, तो उपरोक्त दोनों ही स्थिति में बढ़ी हुई परियोजना लागत की राशि का वहन राज्य योजना अंतर्गत उपरोक्त कंडिका 10 में वर्णित बजट शीर्ष (शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय) की राशि से किया जायेगा।
14. जलापूर्ति योजना हेतु पानी सुन्दर जलाशय से लिया जायेगा। इस हेतु जल संसाधन विभाग के पत्रांक 2/पी०एम०सी०/विविध/1060/2022-349 दिनांक 27.04.2023 द्वारा छव्व प्रदान किया गया है। साथ ही ESR और WTP अधिष्ठापन हेतु समाहरणालय गोड्डा के पत्रांक 432/रा० दिनांक 06.03.2023 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को भूमि हस्तांतरित की गई है।
15. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में अमृत अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु प्राप्त सभी राशि इस हेतु नामित State Nodal Agency राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) अंतर्गत अमृत मिशन के पृथक बैंक खाते (SNA A/C) में संधारित किया जाता है। यह बैंक खाता वित्त विभाग से अनुमोदनोपरांत संधारित किया गया है। इसी बैंक खाते से उपर्युक्त परियोजना का क्रियान्वयन कराने वाली संस्था को नियमानुसार राशि का आवंटन राज्य शहरी विकास अभिकरण के स्तर से किया जायेगा।
16. परियोजना के रख-रखाव हेतु निर्धारित 5 वर्ष की समय-सीमा के लिए एक कार्य योजना (O&M Plan) तैयार की गई है, जिसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:-
 - (क) रख-रखाव हेतु चयनित संस्था की वांछित योग्यता का निर्धारण किया गया है।
 - (ख) जलापूर्ति की गुणवत्ता एवं निर्बाध सेवा को ध्यान में रखते हुए मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर उक्त कार्य हेतु चयनित संवेदक के भुगतान का आकलन किया जायेगा।
 - (ग) रख-रखाव अवधि के दौरान संवेदक द्वारा मीटर रिडींग कर निकाय द्वारा निर्धारित किए गए जल उपभोग शुल्क (Water User Charge) के अनुसार नवीनतम तकनीकों (E-mail, SMS आदि) का उपयोग करते हुए सभी उपभोक्ताओं को विपत्र उपलब्ध कराया जायेगा। निकाय अथवा निकाय द्वारा राजस्व/कर

संग्रहण करने हेतु चयनित संस्था के माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा विपत्र के विरुद्ध राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

(घ) संवेदक को रख-रखाव के विरुद्ध राशि का भुगतान परियोजना के निविदा दस्तावेज में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

17. महागामा शहरी जलापूर्ति योजना की लागत राशि (CAPEX) 7110.67 लाख रु. एवं योजना के रख-रखाव एवं संचालन की लागत राशि (OPEX) 1190.54 लाख रु., दोनों मिलाकर कुल परियोजना लागत राशि 8301.21 लाख रु. पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

18. उपरोक्त सभी प्रस्तावों पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 25.07.2023 को सम्पन्न बैठक में मद सं० 19 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(विनय कुमार चौबे)

सरकार के सचिव ।
